न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 04/2023

मुनेश कुमार पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत वाहिदपुरा जरिये सरपंच पंचायत समिति मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. सामुदायिक केन्द्र वाहिदपुरा तहसील मण्डावा।
3. अनिल कुमार पुत्र शिवकरण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
4. तीजू पुत्री हरिशंकर निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
5. नेमीचन्द पुत्र चिमनाराम निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
6. पंकज पुत्र मोहनलाल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
7. प्रमिला कुमारी पुत्र मोहनलाल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
8. बंजरगलाल पुत्र नोपाराम निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
9. भूपेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
10. भागीरथ पुत्र हरिशंकर निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
11. भींवाराम पुत्र केशरराम निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
12. मोटाराम पुत्र केशरराम निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
13. राजेश पुत्र बीरबल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
14. रामकुमार पुत्र चिमनाराम निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
15. रामप्रताप पुत्र बीरबल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
16. श्याना देवी पत्नी बीरबल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
17. श्योकरण पुत्र हरिशंकर निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
18. शिशपाल पुत्र चिमनाराम निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
19. सरिता देवी पत्नी मोहनलाल निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
20. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वाहिदपुरा।

— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत वाहिदपुरा
पारित विकय नामान्तरकरण संख्या 960 दिनांक 20.03.2023

ऐडवोकेट अपीलान्ट :— श्री रवि कुमार अपीलान्ट

आदेश

दिनांक 03.01.2025

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि मीन हाल खसरा नं. 402, 403, 405, 407, 410, 411, 412, 413, 417, 419 कुल रकबा 1.70 हैक्टर वाके ग्राम वाहिदपुरा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट का 0.1449 हैक्टर हिस्साथा जिसमें से अपीलान्ट ने 0.11 हैक्टर भूमि का उपहार जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांकित 14.09.2022 से रेस्पोडेन्ट सं. 2 को कर दिया तथा उपहार की गई भूमि का कब्जा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 को सम्भला दिया गया। उक्त उपहार पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में नामान्तकरण सं 960 खोला गया। उक्त नामान्तकरण को रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी

सं. 1 ने अपने आदेश दिनांक 20.03.2023 से खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जेर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है।अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को अदालत मातहत ने सबुत पेश करने का अवसर नहीं दिया है।जमीन हाल खसरा नं. 402, 403, 405, 407, 410, 411, 412, 413, 417, 419 कुल रकबा 1.70 हैक्टर वाके ग्राम वाहिदपुरा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट का 0.1449 हैक्टर हिस्सा था जिसमें से अपीलान्ट ने 0.11 हैक्टर भूमि का उपहार जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांकित 14.09.2022 से कर दिया तथा उपहार की गई भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को सम्भला दिया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा दिनांक 03.11.2022 को रेस्पोडेन्ट सं 1 से नामान्तकरण दर्ज करने का निवेदन किया। तब रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावरपटवार हल्का वाहिदपुरा से मौके की रिपोर्ट मांगी गई। तब जांच रिपोर्ट में सह खातेदारान का विरोध होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने आदेश दिनाक 20.03.2023 से नामान्तकरण सं. 960 को खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा रेसपोडेन्ट सं. 2 के हक में कब्जे स्वामित्व अधिकार की भूमि का उपहार किया था। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को उपहार की गई भूमि अपीलान्ट के कब्जे एंव स्वामित्व की थी जिस पर अपीलान्ट का अपने पूर्वजो के समय से ही बाहमी बंटवारा के आधार पर कब्जा काश्त रहा है। केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता के कारण व राजनैतिक प्रभाव में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को उपहार की गई जमीन का नामान्तकरण सं. 960 खारिज किया गया है।जमीन हाल खसरा नं. 402, 403, 405, 407, 410, 411, 412, 413, 417, 419 कुल रकबा 1.70 हैक्टर वाके ग्राम वाहिदपुरा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू की बाबत रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 20 के हक में उपहार पत्र के आधार पर ही दिंनाक 20.04.2022 को नामान्तकरण सं. 860 तस्दीक किया गया है। इस कारण भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 का आदेश निरस्त होने योग्य है। आलौच्य निर्णय दिनांक 20.03.2023 अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट सं. 2 की अनुपस्थिति में एंव अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट सं. 2 को बिना सुने पारित किया गया है। आलौच्य आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश करने की मियाद 30 दिन नियत है। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से दिनांक 23.05.2023 को सम्पर्क किया व नामान्करण तस्दीक होने बाबत पुछा तोपटवारी हल्का ने नामान्तरण खारिज होने की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट ने नामान्तकरण की नकल के लिये आवेदन किया जो दिंनाक 26.05.2023 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई। इस प्रकार नकल प्राप्ति दिनांक 26.05.2023 से पूर्व अपीलान्ट को आदेश दिनांक 20.03.2023 की जानकारी नही रही है। इस प्रकार दिनांक 26.05.2023 से अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी किसी कारणवश अपील अन्दर मियाद नही मानी जावें उस सुरत में अपीलान्ट को दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा देकर अपील अन्दर मियाद समाहत किये जाने के आदेश दिया जाना उचित व न्यायोचित है।अतः अपीलान्टस की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 को अपास्त किया जावें तथा उपहार पत्र बहक रेस्पोडेन्ट सं. 2 दिनांकित 14.09.2022 के मुताबिक रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट न0 01 लगायत 03 जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडन्ट न0 01 लगायत 20 बादजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दौरान बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौराते हुए निवेदन किया कि ग्राम वाहिदपुरा पटवार हल्का क्षेत्र वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में उक्त भूमि में अपीलान्ट का 0.1449 हैक्टर हिस्सा था जिसमें से अपीलान्ट ने 0.11 हैक्टर भूमि का उपहार जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांकित 14.09.2022 से कर दिया तथा उपहार की गई भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट स. को सम्भला दिया गया। नामान्तरकरण खारिज करने का कोई कारण भी दर्ज नही किया गया केवल राजनिति द्वेषता से अपीलान्ट का नामान्तरकरण खारिज किया गया जो गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेसपोडेन्ट संख्या 01 के आदेश दिनांक 20.2023 को निरस्त फरमाया जाकर उपहार पत्र के आधार पर रेसपोडेन्टस् के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। नामा० सं० 960 दिनांक 20.03.2023 का अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज करने का कोई युक्तियुक्त कारण का उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया । अतः न्यायहित की दृष्टि से अपील स्वीकार की जाती उचित प्रतीत होती है

आदेश

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत वाहिदपुरा के नामा० सं० 960 दिनांक 20.03.2023 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 14.09.2022 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

निर्णय दिनांक 03.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशीला कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा